

लगता है हाईकोर्ट अपने विवेक का इस्तेमाल... दर्शन युगदीप मामले में सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी

नई दिल्ली । नवद्वारियों के अधिनियम और हत्या का आरोप होने के दर्शन युगदीप को मुक्त और बंद करती है। दलमाल, सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट से उन्हें मिली जमानत पर खयाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लगातार हाईकोर्ट ने अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपनी फट्टनल सुनवाई 22 जुलाई को करेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन मामले में ये सुनवाई कर्नाटक सरकार की याचिका के आधार पर की है। कर्नाटक सरकार ने कोर्ट में याचिका दायर कर हाईकोर्ट के फैसले पर खयाल खड़े किए थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी ललित ने टिप्पणी की कि लगातार हाईकोर्ट ने जमानत देते समय उचित विवेक का इस्तेमाल नहीं किया।

बहुजन हिताय!

बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत



राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat.net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 23 ● अंक: 181 ● नई दिल्ली ● शुक्रवार 18 जुलाई 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 8

रिपब्लिकन

मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गौता भारती भवन बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल; ईडी की चार्जशीट में कई और नाम

नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के पति और व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में आरोप पत्र दायर कर दिया है। इसमें कई अन्य व्यक्तियों और कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक, ईडी ने शिकोहपुर भूमि सीदा मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ एक पूरा अभियोजन शिकायत दायर की है। मामला सितंबर 2018 का है, जब सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रियल एस्टेट कंपनी डीएलएफ और एक प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में भ्रष्टाचार, जालसाजी

और धोखाधड़ी सहित अन्य आरोप लगाए गए हैं। वाड्रा पर आरोप है कि उनसे जुड़ी कंपनी स्काईलाइट होमिस्टैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने ऑकरोश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपये में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी। इस सौदे का म्यूटेशन भी अस्मान्य तरीके से कर दिया गया। आरोप है कि हरियाणा के तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने इस जमीन में से 2.70 एकड़ जमीन को कर्मशियल कॉलोनी के तौर पर डेवलप करने की इजाजत देते हुए रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी को इसका लाइसेंस दिया था। आवासीय परियोजना का लाइसेंस मिलने के बाद जमीन की कीमत बढ़ गई। बाद में वाड्रा से जुड़ी कंपनी ने कंपनी ने ये जमीन डीएलएफ को 58 करोड़ में



बेच दी। आगे चलकर हुड्डा सरकार ने आवासीय परियोजना का लाइसेंस डीएलएफ को ट्रांसफर कर दिया। आरोप है कि इस पूरी डील में कई अनियमितताएं की गईं। हरियाणा पुलिस

ने 2018 में इस सौदे से जुड़े मामले में केस दर्ज किया। आगे चलकर ईडी ने भी इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े इस मामले में हुई कथित गड़बड़ी का

खुलासा आईएसएस अशोक खेमका ने किया था। इसके बाद वे सुर्वियों में आ गए थे। बीते एक दशक से रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ लगे आरोपों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों ने अलग-अलग चुनावों में कांग्रेस पर आरोप साधने के लिए किया है। दिसंबर 2023 में ईडी ने इस मामले में यूएई स्थित व्यवसायी सीसी थंपी और ब्रिटेन के हथियार डीलर संजय भंडारी के रिश्तेदार सुमित चड्ढा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में वाड्रा और उनकी पत्नी प्रियंका गांधी का नाम आरोपी के तौर पर नहीं है, लेकिन उनकी भूमि खरीद-बिक्री का विवरण शामिल है। ईडी ने कहा था कि वाड्रा से कथित तौर पर जुड़े थंपी ने 2005 से 2008 के बीच दिल्ली-

एनसीआर स्थित रियल एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा के जरिए हरियाणा के फरीदाबाद के अमीरपुर गांव में लगभग 486 एकड़ जमीन खरीदी थी। आरोपपत्र के अनुसार रॉबर्ट वाड्रा ने 2005-2006 में एचएल पाहवा से अमीरपुर में 334 कनाल (40.08 एकड़) जमीन के तीन टुकड़े खरीदे और दिसंबर 2010 में उसी जमीन को एचएल पाहवा को बेच दिया। ईडी के अनुसार रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अप्रैल 2006 में एचएल पाहवा से हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अमीरपुर गांव में 40 कनाल (05 एकड़) कृषि भूमि खरीदी और फरवरी 2010 में उसी जमीन को एचएल पाहवा को बेच दिया।

बीजेपी ने लगाया कोविंग घोटाले का आरोप, आप बोली-स्कूलों की हर ईट, मोहल्ला क्लीनिकों की हर सुई की जांच करें



नई दिल्ली । दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री अशीष सुद और सामाजिक कल्याण मंत्री रविंद्र इंदरा सिंह ने दिल्ली सचिवालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आम आदमी पार्टी की पूर्व सरकार पर दिल्ली में दलित, पिछले और अल्पसंख्यक बच्चों को आईएसएस की मुफ्त कोचिंग करवाने के नाम पर 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के घोटाले का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली में

सार्वजनिक सेवाओं के 'कार्यशील मॉडल' को बंद कर दिया है और उन्होंने पार्टी पर प्रतिशोध की राजनीति में लिस होने का आरोप लगाया। पार्टी ने बयान में कहा, "दिल्ली के स्कूलों की हर ईट, मोहल्ला क्लीनिकों की हर सुई की जांच करें... लेकिन जब आप अपना काम पूरा कर लें, तो कुछ वास्तविक काम करना शुरू करें।" बीजेपी सरकार के मुताबिक, यह घोटाला कोरोना काल के दौरान जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में हुआ, जिसमें दलित,

पिछड़े, गरीब और अल्पसंख्यक छात्रों को मुफ्त कोचिंग देने के नाम पर भारी वित्तीय अनियमितताएं की गईं। शिक्षा मंत्री अशीष सुद जानकारी दी की रेखा गुप्ता की सिफारिश पर उपरायपाल विनय कुमार सक्सेना ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को विस्तृत जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सरकार के मंत्री अशीष सुद ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि दिल्ली में शासन करने के दौरान एक ओर तो भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों को दिखा-दिखाकर राजनीति की, दूसरी ओर उन्हीं के नाम पर शुरू हुई योजना को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया और योजना के तहत यूपीएससी, एमएससी, डीएसएसएसबी, नीट और क्लेट जैसी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए छात्रों को सरकारी सहायता दी जानी थी, लेकिन इसका लाभ लेने वाले हजारों छात्रों के नाम या तो फर्जी निकले या उनके दस्तावेज ही नहीं मिले।

यमुना वाटिका और बांसेरा पार्क पहुंचे उपराष्ट्रपति, एलजी वीके सक्सेना संग किया दौरा



नई दिल्ली । उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को दिल्ली में यमुना वाटिका और बांसेरा पार्क का दौरा किया, जहां उपरायपाल वीके सक्सेना ने उनका स्वागत किया। धनखड़ ने भारत की तेज आर्थिक वृद्धि और राजधानी में विकास कार्यों की सराहना की। उन्होंने उपरायपाल वीके सक्सेना के प्रयासों की भी सराहना की और दिल्ली में उनके काम को क्रांतिकारी बताया और कहा कि रिवरफ्रंट एक प्रमुख वैश्विक आकर्षण बनेगा। पत्रकारों से बात करते हुए, धनखड़ ने

कहा कि दिल्ली भारत की राजधानी है। उपरायपाल विनय सक्सेना द्वारा किया गया कार्य क्रांतिकारी है। दिल्ली के लोग हमेशा याद रखें कि उनके प्रयास फल दे रहे हैं। दिल्ली को नए फेसफे, नई ऊर्जा प्रदान की जा रही है। क्योंकि यह एक बड़ी चुनौती थी। मुझे यकीन है कि ज्यादा से ज्यादा दिल्लीवासी इस प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण के अनुकूल सुंदरता का आनंद लेंगे, और यह अद्भुत होने वाला है। मुझे यकीन है कि रिवरफ्रंट दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रिवरफ्रंट से मेल खाएगा। और मुझे

इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक बार पूरी तरह से विकसित हो जाने के बाद यह एक वैश्विक आकर्षण होगा। धनखड़ ने कहा कि भारत ने पिछले एक दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है, दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर आग्रस है। उन्होंने कहा कि विकास तेज रहा है, बेहतर सड़कें, बिजली, गैस, शौचालय, इंटरनेट, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं हर घर तक पहुंच रही हैं। धनखड़ ने कहा कि कुछ अद्भुत हुआ है। मानवता के 1/6 हिस्से वाले भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक उछाल का अनुभव किया है। 11वें नंबर पर होने और दुनिया की पाँच सबसे कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने से लेकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर चौथी वैश्विक अर्थव्यवस्था बनने तक। बुनियादी ढाँचे का विकास अभूतपूर्व और अकल्पनीय रहा है।

दिल्ली के मंत्रियों को महंगे फोन वाले आदेश पर सरकार की सफाई, कहा- ये चलता फिरता ऑफिस

नई दिल्ली ।

दिल्ली में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के लिए लाखों के मोबाइल फोन वाले आदेश पर दिल्ली सरकार की तरफ से सफाई दी गई है। मंत्री आशीष सुद ने इसको लेकर गुरुवार (17 जुलाई) को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मंत्री आशीष सुद ने कहा, "आम आदमी पार्टी ने खुद ही कहा है कि उनके नेता बेरोजगार हैं, इनको काम चाहिए इसीलिए रोज आरोप लगाते रहते हैं कभी मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हैं कभी उनके परिवार के बारे में कुछ बोलते हैं। आज आम आदमी पार्टी की टिप्पणी का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि वह व्यक्तिगत नहीं है वह ईमानदारी से काम करती हुई सरकार पर है। उन्होंने कहा, हमें काम करना है इसलिए हमने कभी जवाब नहीं दिया लेकिन दो दिन पहले दी गई टिप्पणी हमारी सरकार



के ऊपर थी। सरकार के मंत्री फोन को लेकर बहुत यादा पैसे खर्च रहे हैं या आरोप लगाया गया। यह सरकार पर आरोप है इसके लिए जवाब देना जरूरी है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सुद ये भी कहा, मंत्री और जनप्रतिनिधि भी मोबाइल फोन पर सरकार का काम करते हैं जनता का काम करते हैं। हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है मगर इनकी अमसलियत खेलने के लिए इस

मोबाइल के विषय पर बात करनी जरूरी है। आम आदमी पार्टी के नेता ही अरविंद केजरीवाल की बखिया उधेड़ने के लिए ऐसे मुद्दे खोद देते हैं ताकि हम उनकी सचाई सामने लेकर आएँ। आशीष सुद ने आगे कहा, "साल 2013 का सर्कुलर था उसमें बढ़ोतरी करके डेढ़ लाख किया गया है। 2013 से 2025 आते आते बदलाव किया गया है सीपीआई के आधार पर जो बदलना चाहिए था वह

बढ़ा दिया गया। सिर्फ हमारे एक ही मंत्री में पैसा कलेम किया है बाकी तो किसी ने किया भी नहीं। मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा, आम आदमी पार्टी के बेरोजगार नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिंसोदिया को निधाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाकर लेकर आते हैं। मोबाइल एक जरूरत है। जनप्रतिनिधि के लिए मोबाइल एक चलता फिरता ऑफिस है। पहला फोन उन्होंने 81000 का लिया जबकि लिमिट सिर्फ 50000 रुपये की थी। दूसरा फोन 1,63,000 का फोन लिया जबकि अनुमति थी 50000 की थी। उन्होंने दावा किया, चार बार नया मोबाइल अरविंद केजरीवाल ने लिया जबकि अनुमति की राशि से दुगुनी तिगुनी राशि वाला विकसित होकर भ्रष्टाचार से आप यहां से गए हैं। कहते थे आम आदमी है छोटी शर्ट पहनेगी लेकिन कोविड के दौरान भी आईफोन खरीदेंगे। अरविंद केजरीवाल बड़े शौकीन मिजाज आदमी हैं।

प्यार का जाल बिछाया... लेकिन खुद ही फंस गई महिला, सुप्रीम कोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

नई दिल्ली । शादीशुदा होते हुए दूसरे मर्द से रिश्ता रखने पर आपके खिलाफ मुकदमा चल सकता है, पार्टनर पर रेप के आरोप लगाने वाली महिला से सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। महिला आरोपी को अग्रिम जमानत दिए जाने का विरोध कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके सभी तर्कों को नकारते हुए जमानत को सही बताया है। जस्टिस एम एम सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले में सुनवाई करते हुए महिला को खूब फटकार लगाई। महिला का कहना है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब महिला ने पति से तलाक ले लिया तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता की दलीलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप एक शादीशुदा महिला हैं और आपके दो बच्चे हैं। आप एक मैथोर महिला हैं और आपको उस रिश्ते की समझ थी जो आप शादीशुदा होते हुए किसी और के साथ बना रही थीं। महिला के वकील ने फिर से दलील दी कि आरोपी याचिकाकर्ता को बार-बार होटल बुलाता था इस पर सुप्रीम कोर्ट ने महिला से कहा, आप उसके बुलाने पर बार-बार जाती क्यों थीं? आप अच्छी तरह से जानती हैं कि शादीशुदा होते हुए किसी और से शारीरिक संबंध बनाना एक अपराध है। महिला ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खटखटाया था, जिसमें हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी थी। हाईकोर्ट ने पाया कि महिला का तलाक होने के बाद आरोपी ने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। साल 2016 में सोशल मीडिया के जरिए महिला की आरोपी से जान-पहचान हुई। महिला का आरोप है कि आरोपी के दबाव में आकर उसने इस साल 6 मार्च को पति से तलाक ले लिया था, लेकिन जब उसने आरोपी से शादी के लिए कहा तो वह मुकर गया। इस बात से महिला को बहुत गुस्सा आया और उसने बिहार पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी कि आरोपी ने उसका रेप किया है। हालांकि, पटना हाईकोर्ट ने आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी क्योंकि कोर्ट ने पाया कि तलाक के बाद कभी आरोपी ने महिला के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए।

